प्रदेश में ईवी बनाने वाली कंपनी को सुविधाएं मिलेंगी

- जापान के साथ अन्य देशों से चल रही बात
- यूपी सरकार ने ईवी नीति 2022 में लागू की थी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत फैक्ट्री लगाने वाली कंपनियों को और छूट देने जा रही है। वाहन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी की आटोमोबाइल व ईवी डेस्क बेंगलुरु में स्थापित होने वाले सेटेलाइट कार्यालय के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करेगी।

सरकार की कोशिश है कि आगामी दो साल में राज्य में ईवी का निर्माण शुरू किया जाए। इसीलिए सरकार ने ईवी पर पंजीकरण व रोड टैक्स में दो वर्षों के लिए छूट बढ़ा दी है। सरकार ने वर्ष 2025 तक ईवी के क्षेत्र में निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 लागू की थी। इन्वेस्ट यूपी ने जापान सहित कई देशों में ईवी का निर्माण करने वाली कंपनियों के साथ निवेश को लेकर बातचीत की है।